न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 36/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 ठाकरराम पुत्र मूलाराम 2 कोजाराम पुत्र मूलाराम 3 धारूराम पुत्र मूलाराम जातियान बणजारा निवासीगण डेह तहसील जायल।		नायब तहसीलदार, डेह तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भोपालसिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 27.07.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2021 सरकार बनाम ठाकरराम में निर्णय दिनांक 09.03.21 के तहत मौजा डेह की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.09.21 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 22.09.21 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 07/21 की फोटोप्रति, कोजाराम के आधार कार्ड की फोटोप्रति कोजाराम, धारूराम के राशन कार्ड की फोटोप्रति, गोगा देवी के जन आधार कार्ड की फोटोप्रति, ठाकरराम के आधार कार्ड की फोटोप्रति, रसीद संख्या 02, 04, 06, 07, 08, 15, 17, 18, 22, 27, 35, 36, 44, 46, 47, 48, 49 की फोटोप्रति, पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के रसीद–4 की फोटोप्रति, बिजली बिल की फोटोप्रति, जिलाधीश नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांटान को कथित प्रकरण का कोई नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ न ही तामिल कुनिन्दा मौके पर आया न मकान पर नोटिस चस्पा किया न चस्पानगी का कोई आदेश था, फिर तामिल मानकर अपीलांट्स को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए व जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर बंद कर दिया व खसरा नम्बर 1682 गे.मु. मगरा मौजा डेह पर अतिक्रमण बताकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश/निर्णय दिनांक 09.03.21 को पारित कर दिया। जिसकी अपीलांटान को कोई जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात दिनांक 01.09.21 की समझाई कि फर्द मौका रिपोर्ट बिना मौके पर आये तैयार करते हुए तत्पश्चात एकाएक दिनांक 06.09.21 को उप तहसीलदार डेह मय टीम एवं पुलिस जाप्ता लेकर मौके पर आये व कथित निर्णय दिनांक 09.03.21 की आड में जे.सी.बी. आदि संसाधनों से अपीलांट्स के कदीमी वर्षो पुराने रहवासी मकानों को जबरदस्ती बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये, बिना साक्ष्य सबूत लिये ध्वस्त कर अपीलांट्स व उनके परिवार जो बणजारा जाति के गरीब लोग है बेघर कर दिया व खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया व जीवनभर की कमाई से बनवाये गये 50 वर्ष पुराने रहवासी निर्माणो को तोड दिया गया व उनके विरूद्व दिनांक 09.03.2021 को ही बेदखली का निर्णय होना बताया गया। जिस पर अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार डेह के यहां जाकर पता किया व जानकारी करवाई व नकलों के लिए दिनांक 13.09.21 को आवेदन पेश करवाया जिस पर प्रमाणित प्रतियां दिनांक 14.09.21 को मिलने पर सर्वप्रथम उक्त निर्णय व कथित फर्दो आदि के बारे में जानकारी होने से व पूर्व में कोविड–19 के कारण लोक डाउन की वजह से निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी जिससे अब जानकारी होने पर अपील की कानूनी राय मिलने पर तुरन्त दिनांक 14.09.21 को अपील अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की है, जिससे अपील को

अपर कलक्टर, नागौर

अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को पर्याप्त जवाबदेही साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर नहीं दिया, विधि प्रक्रिया अपनाये बिना जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है जिससे निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि हुई है।

{2}(III)–नोटिस तामिल की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। नोटिस मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट लेकर तामिल पर्याप्त मान ली गयी न ही किसी मौतबिर के नाम पते, वल्दियत दर्ज है केवल मात्र ऐसा अनुचित आदेश आनन फानन में पारित करने के दुराशय से दो पेशी पर ही बिना किसी अर्जेन्सी के अत्यंत जल्दबाजी में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित कर उसकी आड में लाखों रूपयो के पुराने मकानों को तोड कर अपीलांट्स को बेघर करने की गैर कानूनी कार्यवही की है सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण व दुर्भावनापूर्वक हेने से निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को खसरा नम्बर 1682 गे.मु. मगरा मौजा डेह पर मकान बनाकर अतिक्रमी मान कर निर्णय पारित किया है जबकि उक्त स्थान पर आबादी बसी हुई है, अपीलांटना के मकान बाडों आदि के चारो तरफ अनेको मकानात बने हुए है मगरा भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है वहां पर कई लोगो के नियमन हो रखे है व अपीलांट्स भी पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के हकदार थे व है व इस हेतु समय समय पर निवेदन करते आये है व सरकारी परिपत्रों अनुासर पूर्व में उच्च अधिकारियों द्वारा नियमन का आश्वासन दिया जाता रहा है व सरकारी द्वारा भी नियमन का विश्वास दिया जाता रहा है व यही पर निवास करते हुए अपीलांट्स व इनके परिवार वालो का सर्वे होकर राजस्थान सरकार द्वारा परिवार राशन कार्ड बनाये हुए है, भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाये हुए है जन आधार कार्ड भी सरकारी नियमो के अनुसार इसी भूमि पर निवास करने के दौरान बनाये हुए है। विद्युत व जल कनेक्शन जारी किये हुए है इस बार सरकारी दस्तावेजात से भी साबित है कि इस भूमि पर अपीलांटस व इनके परिवार वालो को कदीमी 50 वर्षो से अधिक समय का कब्जा निवास रहता चला आया है अन्य कोई निवास का स्थान नहीं है व पुराने कब्जा के आधार पर समय समय पर सरकारी योजना, परिपत्रो के अनुसार नियमन के पात्र होने के बावजूद जानबूझ कर पुराने कब्जे के संबंध में साक्ष्य पत्रावली पर नहीं लिये व इतनी जल्दबाजी में निर्णय, बेदखली, तोड फोड करने की आवश्यकता नहीं होते हुए भी राजनेतिक पार्टीबाजी के दबाव व प्रभाव के चलते इस तरह की आनन फानन में अवैध कार्यवाही करके गरीब बणजारा जाति के अपीलांट्स व उनके परिवार वालो के साथ अन्याय किया है जबकि उक्त मगरा भूमि आबादी के रूप में काम आ रही है वहां पर निवास को उचित मानते हुए भी सरकारी दस्तावेज बने हुए है पानी, लाईट के कनैक्शन है तो एक तरफ तो सरकार इस तरह से निवास को उचित मानकर दस्तावेज बना रही है दूसरी ओर नूमाईन्दे इस तरह से पार्टी विशेष के लोगो के दबाव में आकर गरीब लोगो के मकान तौड कर उजाडने की अनुचित कार्यवाही कर रहे है जो कतई उचित व न्याय संगत नहीं है अपीलांटन के मकान 50 वर्ष पुराने रहे है। इस चारो तरफ अन्य लोगों के मकानात बने हुए है उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन मगरा के रूप में नहीं रही है, पीढिया से आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, रेकर्ड में किस्म जमीन मगरा गलत दर्ज हो रखी है जो मैके की स्थिति के विपरीत है, अगर भैतिक निरीक्षण किया जावे तो सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बावजूद इसके इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ को दरकिनार करते हुए अपीलांटान को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)– गांव के लोगो ने जिला कलक्टर को पूर्व में लिखित में निवेदन किया कि वह भूमिहीन काश्तकार है उनके नाम खातेदारी की भूमि नहीं है कब्जा पुराना है, जहां रहवासी मकान, पानी का टांका बने हुए है परिवार सहित निवास करते है पशुपालक है पशुधन रखते है यहीं उनकी जीविका का साधन है गांव के कुछ लोग राजनैतिक पार्टीबाजी से परेशान करते है मकान व जायगा से बेदखल करना चाहते है अन्य लोगों के नियमन किये जा चुके है हमारे सात सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इस कारण नियमन करने का निवेदन किया, अपीलांट के पिता के समय पर भी उच्च अधिकारियो को नियमन की सिफारिश हेतु आवेदन पेश किये जाते रहे है व हर बार उनको नियमन का आश्वासन दिया जाता रहा इतना ही नहीं,

अपर कलेक्टर, मारवाड़

खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुन्तकिल काश्त के दस्तावेजात से भी अपीलांट्स व उनके पूर्वज पिता वगैरा का पुराने समय से कब्जा रहता चला आना साबित है सारे दस्तावेजात पेश किये जा रहे है। इतना ही नहीं पूर्व में दिनांक 01.06.1960 में जिला कलक्टर नागौर को उक्त भूमि में बसने के लिए अपीलांटान के पिता मूला हित अन्य लोगो ने आवेदन दिया जिस पर सन 1960 में जिला कलक्टर ने आदेश भी दिया। इस कारण निर्णय जेर अपील निरस्त कर उचित हर्जाना दिलाया जाकर वहां पर सरकारी योजना अनुसार अपीलांट के आवास बनवाने की आज्ञा/आदेश/व्यवस्था करवाई जाना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है अन्यथा अपीलांटान के परिवार उजड जायेगे, अभी बरसात, आंधी तुफान, गर्मी के मौसम में तम्बू लगाकर छोटे छोटे बच्चो सहित मौके पर विकट परिस्थित में निवास कर रहे है इसलिए अपीलांटान के साथ न्याय करावे, उक्त निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

{2}(VI)– अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कथित गलत रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया था, उक्त नोटिस की जानकारी होती व पर्याप्त तामिल करवाई जाकर जवाबदेही, साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाता तो सारी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने पर ऐसा आदेश कतई नहीं होता, अपीलांटन के पुराने मकान नहीं तौडे जा सकते थे मगर जानबूझ कर अपीलांटान को साक्ष्य सबूत पेश करने से वंचित रखा जाकर उक्त बेदखली के प्रथम निर्णय की आड में ही इस तरह से रहवासी मकान आदि को तोडना कतई उचित नहीं है जबकि बार बार अतिक्रमण व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की कार्यवही, निर्णय आदि पूर्व के होने पर ही इस तरह की कोई कार्यवाही बाद साक्ष्य सबूत के की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसा कुछ भी नहीं है एकाएक मुकदमा दर्ज कर दुसरी पेशी पर निर्णय कर उससे अपीलांटन को अनभिज्ञ रखते हुए एकएक जे.सी.बी. वगैरा ले जाकर पुलिस सहयोग से रहवसी मकानो आदि को तोड कर सारे आम अन्याय किया गया है व सारी कार्यवाही गैर कानूनी है। उक्रोक्त कारणो से भी निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा डेह में स्थित गैर मुमकिन मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट संख्या 01 का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके डेह की गैर मुमकिन मगरा पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर